18/03/2020 LL.B. IV Sem

Arbitration, Conciliation and Alternative Disputes Resolution

LL.B. IV Sem

MANEESHA SHARMA
Law Faculty
N.A.S. P.G. College
Meerut

Scanned with CamScanner

प्रश्न- विदेशी पंचाट से आप क्या समझते हैं। यह कब बन्धकारी होता है विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए साक्ष्य को समझाइये। माध्यस्थम् पक्षों को निर्देशित करने लिए न्यायिक प्राधिकरण की शक्ति का वर्णन कीजिए।

उत्तर- विदेशी पंचाट का अर्थ धारा 44 अनुसार "विदेश पंचाट से तात्पर्य वैधानिक सम्बन्ध भले ही वे संविदात्मक हो असंविदात्मक से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के बीच मतभेदो पर एक माध्यस्थम पंचाट जिसे 11 अक्टूबर 1960 को या इसके पश्चात पारित किये गये भारतवर्ष में लागू विधि अधीन वाणिज्यिक माना गया है -

(क) माध्यस्थम के लिए लिखित तौर पर एक करार के अनुसरण में जिसका अभिप्राय अनुसूची में वर्णित हुआ लागू होता है।

(ख) इस प्रकार के कारण राज्यो में एक जिसका केन्द्रीय सरकार हो जाने के कारण समाधान हो जाता है कि प्रतिकुल प्रावधानो को राज्य क्षेत्रों के होने के रूप में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा चुका है जिसके प्रति कथन अभिसमय लागू होता है।

विदेशी पंचाट की बाध्यता - धारा 46 के अनुसार - कोई भी विदेशी पंचाट जो इस अध्याय के अधीन प्रवर्तनीय होगा जो उन व्यक्ति के सभी उद्देश्यो के लिए बाध्यकारी होने के रूप में व्यवहृत किया जिनके बीच यह किया गया और तदनुसार उस पर भारतवर्ष में किसी भी विधिक कार्यवाही में बचाव या प्रतिसादन के माध्यम से या अन्यथा उन सभी व्यक्तियों पर विश्वास किया जा सकेगा और एक विदेशी पंचाट को लागू होने योग्य बनाने के लिए इस अध्याय में किसी भी निर्देश का अर्थान्वयन एक पंचाट पर विश्वास करने के सन्दर्भ को सम्मिलित करने वाले के रूप में किया जायेगा।

विदेशी पंचाट को लागू करने के लिए साक्ष्य धारा 47 के अनुसार -1. एक विदेशी पंचाट को लागू करने के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार आवेदन-पत्र समय न्यायालय के समक्ष पेश करेगा -

(क) मूल पंचाट या उस देश की विधि के अधीन द्वारा अपेक्षित प्रतिलिपि जिसमें इसका निर्माण किया गया है।

(ख) माध्यस्थम् के लिए मूल करार या उसकी उचित रूप से प्रमाणित की गयी एक प्रतिलिपि और,

(ग) एक साक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि पंचाट एक विदेशी पंचाट है।

[2] उपधारा [1] के अधीन पेश किया जाने वाला पंचाट या करार एक विदेशी पंचाट है। एक विदेशी भाषा में है, तो पंचाट को प्रवर्तनीय बनाने की मांग करने वाले पक्षकार उस देश के कौंसलीय अभिकर्ता या एक कूटनीतिज्ञ द्वारा सही होने के रूप में प्रमाणित की गयी इंगलिश में एक अनुवाद को पेश करेगा जिसका वह पक्षकार है या भारतवर्ष में लगा विधि के अनुसार इस प्रकार

Scanned with CamScanner

के ढंग से उतना सही है जितना पर्याप्त हो सकेगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा में और इस अध्याय की सभी निम्नलिखित धाराओं में न्यायालय शब्द से एक जिले में मूल अधिक अरिता की प्रधान सिविल न्यायालय से तात्पर्य है और पंचाट के विषय-वस्तु पर अधिकारिता रखने वाली इसके प्रारम्भिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय भी शामिल है यदि वह एक वाद का विषय-वस्तु बन गया किन्तु उसमें इस प्रकार की प्रधान सिविल न्यायालय या लघुवाद न्यायालयों के निम्नतर स्तर (ग्रेड) की कोई सिविल न्यायालयों शामिल नहीं होता।

न्यायिक प्राधिकरण की शक्ति – धारा 45 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या किसी एक भाग में किसी बात के होते हुए भी एक न्यायिक प्राधिकरण तब एक मामले में कार्यवाही को बन्द कर देगा. जबकि उसके सन्दर्भ में पक्षकारों में विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किये जाने हेतु करार हो बशर्ते कि कथित करार अकृत एवं शून्य, निष्क्रिय या पालन के आयोग्य घोषित न हुआ हो।

मैसर्स ओर्मा इम्पैक्स प्रा० लि० ब० मै० निस्साई आरव प्रा० लि० A.I.R 1998 Delhi में यह निर्णीत हुआ कि पक्षकारों में संविदा के आधार पर बकाया धनराशि की वसूली के वाद में न्यायालय उस समय वाद की कार्यवाही को स्थगित कर देगा, जबकि संविदा में माध्यस्थम् करार का उपबन्ध हो। ऐसी अवस्था में प्रतिवादी इस तथ्य का सहारा नहीं ले सकेगा कि उसे माध्यस्थम् करार की जानकारी थी।